



# UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XIII

JAN-2023 TO MAR-2023

ISSUE-I



## e-NEWSLETTER

QUARTERLY NEWSLETTER OF UTTARAKHAND SLSA  
COMPILED BY  
MR. SAHDEV SINGH, MEMBER SECRETARY, UKSLSA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : [slsa-uk@nic.in](mailto:slsa-uk@nic.in), [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com)

website : [www.slsa.uk.gov.in](http://www.slsa.uk.gov.in)

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuyknESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100



## **UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL**



Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi  
Hon'ble Patron-in-Chief, UKLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari,  
Hon'ble Executive Chairman, UKLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Ravindra Maithani  
Hon'ble Chairman, HCLSC, Nainital



Mr. Sahdev Singh,  
Member Secretary, UKLSA, Nainital



Mr. Sayed Gufran,  
Officer on Special Duty, UKLSA, Nainital



## **E-NEWSLETTER FOR JANUARY-2023 TO MARCH-2023**

### **VIDEO CONFERENCING SESSION DATED 11.01.2023:**

The Hon'ble Juvenile Justice Committee, High Court of Uttarakhand convened a virtual meeting on 11<sup>th</sup> January, 2023, with all stakeholders to discuss the juvenile justice related issues. The said meeting was attended by the Member Secretary, Uttarakhand SLSA, Nainital.

### **VIRTUAL ORIENTATION SESSION ON DISHA (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) SCHEME:**

A Virtual Orientation Programme was organized on 09.01.2023 by NALSA and Department of Justice on Integrated Delivery of Legal Services (IDLS) & Training on Tele-Law: Reaching the unreached under the SLSA -DISHA (Joint Venture of NALSA & DoJ Project) for the Member Secretaries, Secretaries of the DLSAs and Tele-Law Advocates. The said orientation programme was attended by the Member Secretary, Uttarakhand SLSA-Nainital, Secretaries of the District Legal Services Authorities in the State including Tele-Law/Retainer Lawyers enrolled with DLSAs.

### **VIRTUAL ORIENTATION SESSION ON DISHA SCHEME:**

NALSA and Department of Justice organized a virtual "Orientation Session on Integrated Delivery of Legal Services (IDLS) & Training on Tele-Law: Reaching the unreached" on 12.01.2023, under the SLSA -DISHA (Joint Venture of NALSA & DoJ Project) for the Member Secretaries, Secretaries of the DLSAs and Tele-Law Advocates. The Agenda of the session was as under:

- a) Overview of the IDLS Programme
- b) Operational Mechanism of Tele-Law
- c) Operational Mechanism of Nyaya Bandhu
- d) Activity under Legal Literacy and Legal Awareness in Aspirational Districts

The said orientation programme was attended by the Member Secretary, Uttarakhand SLSA-Nainital, Secretary, of the District Legal Services Authorities in the State including Tele-Law/Retainer Lawyers empanelled with DLSAs.

### **VIRTUAL MEETING UNDER IMPLEMENTATION OF DISHA SCHEME:**

The National Legal Services Authority, New Delhi convened a virtual meeting with the Member Secretaries of SLSAs on 01<sup>st</sup> February, 2023. The said meeting was organized with regard to implementation of DISHA Scheme and utilization of funds etc. The said meeting was chaired by the Member Secretary, NALSA. The aforesaid meeting was attended by the Member Secretary and Officer on Special Duty, Uttarakhand SLSA, Nainital.

### **THE HON'BLE EXECUTIVE CHAIRMAN, UKSLSA, NAINITAL VISITED DLSA CHAMPAWAT OFFICE ON 14.01.2023:**

The Hon'ble Executive Chairman along with the Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority visited the office of District Legal Services Authority, Champawat on 14<sup>th</sup> January, 2023. On the occasion the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA was pleased to interact with the Para-Legal Volunteers (PLVs) enrolled with DLSA Champawat. During interaction His Lordship was pleased to direct the PLVs, to aware the common mass from different strata of society about cybercrime, social media/internet frauds and also that cybercrime comes in a variety of forms which involves harassing online users. Cyber-crime is the most serious and rapidly expanding type of crime in this day and age.





## **MEGA/MULTI-PURPOSE NEW MODULE LEGAL SERVICES CAMP ON 26.03.2023:**

A Multipurpose/Mega Legal Awareness Camp, as per New Module Legal Services Camp designed by NALSA, was organized on 26<sup>th</sup> March, 2023 at Govt. Inter College, Lewshal, Nainital by the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital in cooperation with District Legal Services Authority, Nainital and NGO namely Hans Cultural Foundation, Uttarakhand.

**The aforesaid Multipurpose/Mega Legal Awareness Camp was organized in the benign presence of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLISA, Nainital. His Lordship address the gathering and inform about different Free Legal Aid Services, provided to the common mass by the Legal Services Institutions throughout the State of Uttarakhand and also about Public Welfare Schemes run by the Central/State Government.**

In the said multi-purpose legal services programme the government departments namely Revenue Department, Aadhar Services Center, Primary Health Center, Agriculture Department, Village Development, Animal Husbandry, Forest Department, Labour Department and officials of State Bank of India have set up their stalls and accord the required services to the need persons.

The attended people were get benefited by providing them Bhumidhari, Widow & Old Age Pension Certificate, Kisan Samman to 43 persons. Total 42 persons were get their Adhar Card prepared and 07 persons get their Ayushman Health Card. The Agricultural Department distributed farming equipments to 12 persons. During the programme the Health Department conducted health check-up to 107 persons. Forest department resolve the issues of 25 persons relating to Forest Department. 17 persons get their BPL Card, family register copy, kisan pension certificate by the village development officials. Total 501 persons were get benefited by providing them wheelchair, walker, stick, hearing aid, glasses, crutches, BP health check-up, backpain belt in cooperation with NGO Hans Cultural Foundation, Uttarakhand. Further informed that 52 persons were benefited by addressing their problems relating to electricity, Police, water supply departments.

Different applications mentioning their problems/issues were also submitted by the attended people/applicants, to the officials of the concerned departments.







## **CAMPAIGN ON BIODEGRADABLE & NON-BIODEGRADABLE WASTE AND PLASTIC WASTE MANAGEMENT SYSTEM:**

In compliance of the Order dated 07.07.2022 and Order dated 24.11.2022 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in WP (PIL) No. 93/2022 (Jitendera Yadav Vs. Union of India & Others) and as per the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital with reference to the aforesaid order, different legal awareness camps were organized on different dates and places by the District Legal Services Authorities across the State of Uttarakhand during January to March, 2023.

Directions was also issued to the PLVs to uploaded Google Map Photos and sent complaint of the locations at E-mail ID: [solidwaste-complaint@uk.gov.in](mailto:solidwaste-complaint@uk.gov.in), where the garbage has been massed/heaped and also sent to concerned authorities. The said E-mail ID: [solidwaste-complaint@uk.gov.in](mailto:solidwaste-complaint@uk.gov.in) also made popularized amongst the common mass.

Different legal awareness & cleanliness campaign were also organized during the period, to aware the public at large about Uttarakhand Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation and Use of Disposal) Act, 2013; Plastic Waste Management Rules, 2016 with amendment Rules 2018; Environment Protection Act, Uttarakhand Panchayat Solid Waste Management Policy, 2017 and ban on single use of plastic etc.

### **ALMORA**

Secretary, DLSA Almora conducted a meeting with Executive Officer, Nagarpalika Almora regarding waste collection.

A legal awareness camp was organized on waste management system on 15.02.2023.





## BAGESHWAR



## CHAMPAWAT





## PAURI GARHWAL



## PITHORAGARH



विवेकानंद इंटर कॉलेज भाटकोट, पिथौरागढ़ के बच्चों द्वारा माह फरवरी 2023 में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

परा विधिक कार्यकर्ता सुरेन्द्र सिंह बसेड़ा और निर्मला पाण्डे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया।







## **OBSERVATION OF "NATIONAL YOUTH DAY" ON 12.01.2023:**

National Youth Day was celebrated by all District Legal Services Authorities at different places throughout the State of Uttarakhand on 12<sup>th</sup> January, 2023. It is also known as Rashtriya Yuva Diwas. The day is observed to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand, one of the greatest philosopher and spiritual leader.

During the observation, the DLSAs inform the attended people about the rights of people of India. Also educate people to behave properly in the country. The main objective behind the celebration to make a better future for the country by motivating the youth and spreading the ideas of Swami Vivekanand.

### **ALMORA**



### **CHAMOLI**



### **PITHORAGARH**







**UDHAM SINGH NAGAR**





## **NATIONAL LOK ADALAT ORGANIZED ON 11.02.2023 & 04.03.2023:**

As per directions of NALSA, a National Lok Adalat was organized on 11.02.2023 by all District Legal Services Authorities throughout the State of Uttarakhand and the same was organized at Hon'ble High Court level on 04.03.2023. In the said National Lok Adalat total 8910 cases were referred and out of them total **7571** cases were settled amicably and a sum of Rs. 49,24,49,450/- were finalized as settlement amount.

During the said National Lok Adalat, total 20236 Pre-Litigation cases were taken-up and out of them **12907** cases were settled amicably and Rs. 29,02,21,320/- were realized as settlement amount.

The National Lok Adalat was also organized in the Quasi-Judicial Courts such as Consumer Courts and Debt Recovery Tribunals on 11.02.2023. Total 178 cases were referred in such Quashi-Judicial Courts and out of them **135** were settled and Rs. 66,50,61,662/- were realized as settlement amount.

### **AT HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND**

National Lok Adalat was organized in the Hon'ble High Court of Uttarakhand on 04<sup>th</sup> March, 2023







**ALMORA**

DLSA Almora conducted National Lok Adalat in district Almora on 11.02.2023.

**CHAMOLI**

Pre-Litigation meeting was conducted by the Secretary, DLSA Almora with Advocates for upcoming National Lok Adalat dated 13.05.2023.



**BAGESHWAR**

Pre-Meeting for the successful organization of upcoming National Lok Adalat 11.02.2023 was convened by Secretary, DLSA with Bank Managers on 09.02.2023.

Pre-Meeting for the successful organization of upcoming National Lok Adalat 13.05.2023 was convened by Secretary, DLSA with Bank Managers on 03.03.2023.





National Lok Adalat was organized by the DLSA Bageshwar on 11.02.2023.



### CHAMPAWAT

National Lok Adalat dated 11.02.2023 organized by the DLSA Champawat from District Court to Outlying Courts.





## DEHRADUN

Secretary, DLSA Dehradun organized a pre-meeting on 23.01.2023 with Media Persons to publisize National Lok Adalat dated 11.02.2023.

Secretary, DLSA Dehradun convened a meeting with Bank Officials for upcoming National Lok Adalat 13.05.2023.



## PITHORAGARH

National Lok Adalat was organized in the District Court Pithoragarh on 11.02.2023.





## RUDRAPRAYAG



पत्रांक ६० डा.सं.रा. / सूचना / नि

**राष्ट्रीय लोक अदालत में 109 वादों का निस्तारण किया**

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालय ऊखीमठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 109 वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। जिला न्यायालय प्रांगण में लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अध्यक्षता में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/सिविल जज अनामिका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वाद से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 38 मामलों का निस्तारण कर 18,62,880 समझौता राशि वसूल की गई। जिला जज श्रीकांत पाण्डेय की अदालत में एक वाद निस्तारण कर 8,50,000 समझौता राशि वसूल की गई। सिविल जज (जुडि) अनुराग त्रिपाठी की पीठ में कुल 54 वादों का निस्तारण करते हुए 9,69,500 समझौता राशि वसूल की गई। बाह्य न्यायालय ऊखीमठ में सिविल जज (जुडि) रोहित कुमार पाण्डेय की पीठ में 16 वादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 5,51,500 समझौता राशि वसूल की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन में पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार चिल्डियाल एवं पीएलवीगन ने सहयोग किया।

## UDHAM SINGH NAGAR

Pre- Meeting with Judicial Officers was organized on 25.01.2023 for upcoming National Lok Adalat dated 11.02.2023.

Pre-Litigation Meeting with Advocates and Litigants was organized on 05.01.2023 for upcoming National Lok Adalat dated 11.02.2023.



Pre-Litigation Meeting with Advocates was organized on 09.02.2023 by the Chairperson, DLSA U.S. Nagar.



DLSA U.S. Nagar organized National Lok Adalat on 11.02.2023 in the District.





## UTTARKASHI

Pre-Litigation meeting was organized by the DLSA Uttarkashi for upcoming National Lok Adalat 11.02.2023 with Advocates.

For upcoming National Lok Adalat 11.02.2023, pre-meeting was organized with Judicial Officer and Bank Representatives on 01/02.02.2023.



National Lok Adalat was organized by the DLSA Uttarkashi on 11.02.2023.



### **MULTI-PURPOSE/NEW MODULE LEGAL SERVICES CAMPS:**

As per the New Module Legal Services Camps/Programmes, designed by the National Legal Services Authority, different Legal Awareness Camps were organized by the District Legal Services Authorities, across the rural and urban areas of the State of Uttarakhand during the period January, 2023 to March, 2023.

In the said camps different Govt. Departments also set-up their stalls such as Social Welfare Department, Agriculture Department, Health Workers, Animal Husbandry Department and benefitted the attended persons as per their requirements.



## BAGESHWAR

As per NALSA New Module Legal Services Camp, a Mega Legal Services Programme was conducted by the DLSA Bageshwar on 21.01.2023 at Numaiskhet Field, Bageshwar.





## CHAMOLI



## DEHRADUN

Multi-Purpose/New Module Legal Services Camp was organized by the DLSA Dehradun at Narayan Sai Seva Dham, Bidhauri on 21.01.2023.



## PITHORAGARH

A Multi-Purpose Legal Services Camp was organized by the DLSA Pithoragarh at Govt. Inter College, Athgaon, Shiling Pithoragarh on 09.01.2023.







### RUDRAPRAYAG



### UDHAM SINGH NAGAR

A Multi-Purpose/New Module Legal Services Camp was organized by the DLSA Udham Singh Nagar at B.M.B. Inter College on 22.01.2023.





## UTTARKASHI

DLSA Uttarkashi organized a Multi-Purpose Legal Services Camp at Primary School, Purana Rikhwad, Kadam, Tehsil Dunda, Uttarkashi on 28.01.2023.





## SPECIAL CAMPAIGN ON ROAD SAFETY:

As per the Plan of Action for January, 2023 special legal awareness camps underlined the subject '**Road Safety, Traffic Rules, Over Speed and Lane Discipline**' were organized by the District Legal Services Authorities on different places and dates throughout the State of Uttarakhand.

By this Legal Awareness Campaign drive the gathering were informed about the benefits of wearing helmet, benefits of following the traffic rules, ill effects of over speed, Motor Vehicle Act etc.

### ALMORA



### BAGESHWAR



### CHAMOLI



### DEHRADUN





## PITHORAGARH



## UDHAM SINGH NAGAR







## UTTARKASHI



### **OBSERVATION OF "INTERNATIONAL WOMEN'S DAY" ON 08.03.2023:**

**"International Women's Day"** was celebrated by the District Legal Services Authorities on 08.03.2023 throughout the State of Uttarakhand.

On the occasion, the District Legal Services Authorities conducted Legal Awareness Camps and aware the common mass that on the day, women are recognized for their achievements without regard to divisions, whether national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political. During the legal awareness camps gathering were informed about acts, rules, provisions and welfare schemes relating to women empowerment.



## CHAMOLI



## DEHRADUN

On the occasion of "International Women's Day" Secretary, DLSA Dehradun organized a legal awareness camp on 14.03.2023 at Chandrel Complex, Horawala, Dehradun.





PLVs enrolled with DLSA Dehradun observed legal awareness camps on the occasion of "International Women's Day" on 10/11.03.2023.



**UDHAM SINGH NAGAR**







**UTTARKASHI**





## SPECIAL CAMPAIGN ON CYBER CRIME & INTERNET/SOCIAL MEDIAL FRAUDS:

As per the Plan of Action for March, 2023 the District Legal Services Authorities sanitized the common mass about '**Cyber Crime, Internet & Social Medial Frauds/Scams**' by organized special legal awareness camps on different dates and places across the State of Uttarakhand.

By this Legal Awareness Campaign drive the people at large were informed about the '**Cyber Crime, Internet & Social Medial Frauds/Scams**' being conducted by the hackers/scammers frequently as the common mass usually used the online/digital payment methods being easy access modes of transactions.

### BAGESHWAR



### DEHRADUN





**RUDRAPRAYAG**



**CHAMOLI**



**UDHAM SINGH NAGAR**



**UTTARKASHI**





## **LEGAL LITERACY AND LEGAL AWARENESS PROGRAMMES IN ASPIRATIONAL DISTRICTS UNDER DISHA SCHEME:**

As per directions issued vide e-mail dated 30.12.2022, DLSA Haridwar and Udham Singh Nagar (Aspirational Districts identified in the State of Uttarakhand under Tele-Law Programme) organized different Legal Literacy and Legal Awareness Programmes across their Districts under DISHA Scheme.

### **DLSA – Haridwar:**

On 07.01.2023, District Legal Services Authority, Haridwar organized a legal awareness programme in District Jail, Roshanabad, Haridwar. During the programme the Jail Inmates were sensitized about their Legal Rights, how to avail Free Legal Services provided by the Legal Services Institutions, Free Panel Advocate etc.

A Legal Awareness Programme was also organized on 07.01.2023 by the DLSA Haridwar at Observation Home, Roshanabad, Haridwar. During Programme 11 inmates were present in the Home, who were underlined about Prohibition of Child Labour, Right to Education, Legal Rights of Child, POCSO Act etc. An Interaction session was also conducted on the date to gone through about their problems faced in the Home and legal issues. A child was found in need of legal aid, for the same the concerned Home Authorities were asked to sent application of the children for appoint of a Panel Advocate, to represent his case.

The Para-Legal Volunteers (PLVs) empanelled with DLSA Haridwar also organized different legal awareness programme across District Haridwar specially in rural areas during 07.01.2023 and 08.01.2023 and highlighted the common mass about the different NALSA Schemes, Fundamental Rights and Duties, Legal Rights of Women, Domestic Violence Act, Prohibition of Child Marriage, Environment Protection Act etc.

### **DLSA – Udham Singh Nagar:**

District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar and Para-Legal Volunteers (PLVs) organized total 31 Legal Literacy and Awareness Programmes across the District Udham Singh Nagar covering 08 Tehsil areas including rural areas of the district. These legal awareness programmes were organized on 07<sup>th</sup> and 08<sup>th</sup> January, 2023.

Through the aforesaid legal literacy and awareness programmes, people at large were informed about different Welfare Schemes launched by the National Legal Services Authority.

Gatherings were also sensitized about Uttarakhand Victims Compensation Scheme, Juvenile Justice Act, Environment Protection Act, POCSO Act, legal rights of senior citizens,



Rules and Provisions about Women Empowerment, Widow & Old Age Pension, social welfare schemes run by the State Government, welfare schemes meant for persons with disabilities etc.

### HARIDWAR



### UDHAM SINGH NAGAR





## MEETINGS ORGANIZED DURING JANUARY-2023 TO MARCH-2023:

### BAGESHWAR

Secretary, DLSA Bageshwar conducted meeting at Tehsil Bar Auditorium on 27.01.2023 with Special Drug Units.



### UDHAM SINGH NAGAR

Special Drug Units meeting was conducted by the Secretary, DLSA U.S. Nagar at ADR Center, Rudrapur on 23.01.2023.



### UTTARKASHI

Meeting Special Drug Unit and visit Rehabilitation Center was conducted by the Secretary, DLSA Uttarkashi on 20.01.2023.



## TRAINING/SKILL DEVELOPMENT PROGRAMMES CONDUCTED DURING JANUARY-2023 TO MARCH-2023:

### ALMORA

Secretary, DLSA Almora conducted a skill development programme on 23.02.2023 at RTO Office, Almora in cooperation with RTO and Police Department.



Skill development camp/training was conducted by the DLSA Almora on 19.02.2023 at Hawalbagh.





## BAGESHWAR

Special Legal Awareness Camp was held on the subject "Skill Development to youth, highlighting Govt. Skill development" by Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar on 07.02.2023.



PLVs Refresher Training was held on 04.02.2023 by Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar.



## CHAMOLI

Secretary, DLSA Chamoli conducted a camp on "Skill Development to youth, highlighting Govt. Skill development" on 16.02.2023 at Block Conference Hall, Nandnagar.



## PITHORAGARH

Skill Development Schemes were informed to students and youths by Secretary, DLSA Pithoragarh on 06.02.2023 at Skill Development Center Rai, Pithoragarh.



## SPECIAL LEGAL AWARENESS PROGRAMME (LAP):

As per directions of National Legal Services Authority, special Legal Awareness Programmes was organized by the District Legal Services Authorities. The said campaign has been carried out in collaboration with National Commission for Women (NCW) during the period January to March, 2023. The aim of the said campaign drive is to spread legal awareness and women's legal rights amongst women from remote/far-flung areas of the State.



**CHAMOLI**

**CHAMPAWAT**



**UDHAM SINGH NAGAR**

DLSA U.S. Nagar organized legal awareness programme as per NALSA-NCW Collaborative project "Empowerment of Women through legal awareness" at Block Meeting Hall Sitarganj U.S.Nagar on 26.02.2023.





## **CAMPAIGN UNDER JAIL SAMIKSHA DIWAS:**

In order to strengthen Jail Legal Aid Clinics established inside the jail campus and prisoners' rights, different Legal Awareness Programmes and visits were conducted during the Period January-2023 to March-2023 by the District Legal Services Authorities and by these legal awareness programme the jail inmates have been made aware about their legal rights and other relating rules and provisions.

### **ALMORA**



### **BAGESHWAR**





**PITHORAGARH**



**RUDRAPRAYAG**



**UDHAM SINGH NAGAR**







## UTTARKASHI





## **CAMPAIGN & MEETING REGARDING PREVENTION OF SALES OF EXPIRY ITEMS:**

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, Nainital, the Secretaries of the District Legal Services Authorities in the State are conducting a monthly meeting with the Food Safety Officer and Drug Inspector of the concerned district to discuss the prevention of sales of expiry items/packets in the district.

District Legal Services Authorities are also conducting surprise inspection with the concerned officers and PLVs to the shops/malls, general stores, medical stores etc. the Food Safety Officer and Drug Inspector of the district were directed to submit the activity report conducted with regard to prevention of sales of expiry items. The District Legal Services Authorities also conducted awareness camps to sensitize the people at large about the ill effects of using of expiry items.

### **ALMORA**



**एक्सपायरी दवा बेचने वालों पर अंकुश लगाएं**  
अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि बाजारों में बिक रही एक्सपायरी दवा और खाद्य सामग्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के जागरूक और सतर्क नहीं होने के कारण उन स्थानों पर एक्सपायरी वस्तुओं और दवा की बिक्री की संभावना बनी रहती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों का औचक निरीक्षण करें। यदि कोई दुकानदार एक्सपायरी सामान और दवा बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने नबताया कि वर्तमान में एक्सपायरी सामान के संदर्भ में अल्मोड़ा में दो वाद लंबित हैं। संवाद

### **BAGESHWAR**





## CHAMOLI



## CHAMPAWAT





DEHRADUN



PAURI GARHWAL




PITHORAGARH





**TEHRI GARHWAL**



**UDHAM SINGH NAGAR**



**UTTARKASHI**





**VISITS/INSPECTIONS OF DISTRICT/SUB-JAILS, LOCK-UPS, CHILDREN/OBSERVATION HOMES, NARI NIKETAN, FRONT OFFICE, LEGAL AID CLINICS & ONE STOP CENTERS etc.**

**ALMORA**

Secretary, DLSA Almora visited Legal Aid Clinic at District Hospital on 15.02.2023.

Visit and skill development programme was conducted in Nari Niketan, Almora by the Secretary, DLSA Almora on 25.02.2023.



To review the working of Front Office, the Secretary, DLSA Almora visited the same on 09.02.2023.



Visit of Legal Aid Clinic, Tehsil Ranikhet was organized on 14.02.2023.



**BAGESHWAR**

Nari Niketan, Almora was inspected by the Secretary, DLSA Bageshwar on 29.03.2023.

**DEHRADUN**

Inspection of S.G. Foundation Drug De-addiction Center, Dehradun conducted by the Secretary, DLSA Dehradun on 10.01.2023.





## PITHORAGARH

Nasha Mukti Kendra at District Hospital Pithoragarh, was visited by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 28.01.2023.

Legal Aid Clinic at Village Panchayat, Jakh was visited by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 07.02.2023.



JJB, Pithoragarh was visited by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 10.02.2023.

As per NALSA guidelines, Front Office was visited by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 28.02.2023.



## UDHAM SINGH NAGAR

Secretary, DLSA Udham Singh Nagar visited Observation Home, Rudrapur on 05.01.2023.

Sub-Jail Haldwani was visited by the Chairperson & Secretary, DLSA and Chief Judicial Magistrate, U.S. Nagar, on 13.02.2023.





Secretary, DLSA U.S. Nagar visited Sub-Jail Haldwani on 22.02.2023.



Observation Home Haldwani was visited by the Secretary, DLSA, U.S. Nagar on 22.02.2023.



Secretary, DLSA U.S. Nagar visited Sub-Jail Haldwani on 15.03.2023 and on 25.02.2023.



### UTTARKASHI

Secretary, DLSA Uttarkashi visited Legal Literacy Club at GGIC, Devidhar, Dunda on 17.02.2023.



Front Office was visited by the Secretary, DLSA Uttarkashi on 08.02.2023.





Legal Aid Clinic at District Hospital Uttarkashi was visited by the Secretary, DLSA, Uttarkashi on 10.02.2023.



Workers' Facilitation Center at Joshiyada was visited by the Secretary, DLSA, Uttarkashi on 10.02.2023.



Legal Aid Clinic at Police Station was visited by the Secretary, DLSA Uttarkashi on 03.02.2023.



Secretary, DLSA Uttarkashi visited Legal Aid Clinic at Worker's Facilitation Center on 10.02.2023.



Visit of Sakhi One Stop Centre, Uttarkashi by the Secretary, DLSA Uttarkashi on 16.03.2023.



Workshop was organized by the DLSA Uttarkashi on 14.03.2023 for Advocates.





## MISCELLANEOUS PHOTOS AND NEWS PAPER CUTTINGS OF THE PROGRAMMES AND ACTIVITIES CONDUCTED DURING JANUARY TO MARCH, 2023

### ALMORA

On the occasion of "**World Day on Social Justice**" DLSA Almora organized a Legal Services Camp on 20.02.2023 at village Bintola, Almora.

Common mass was informed by Secretary, DLSA Almora about Free Legal Aid Services and harmfulness of plastic use in a camp held on 10.03.2023.



### BAGESHWAR

Webinar on "**Child Right and functioning of Child Legal Aid Cell established in district Haridwar for Garhwal Region and in Udham Singh Nagar for Kumaun Region and regarding child right Champion Campaign of NCPCR**" was organized by the DLSA Bageshwar on 27.01.2023.

Legal Awareness programme for Judicial Officers was conducted on 28.03.2023 by DLSA, Bageshwar.



Legal Awareness Camp was organized on 23.03.2023, on the Subject "**Gender justice, rights of transgender people, gender equality, full and equal representation and participation in all levels and empowerment of all women and girl**" by the DLSA, Bageshwar.





## CHAMOLI

Legal Literacy Camp organized by DLSA Chamoli on 04.02.2023 at Pragati Lodge, Zero Band.

DLSA Chamoli organized a legal awareness camp on 20.02.2023 and inform the common mass about free legal aid/advice services.



## CHAMPAWAT

Monthly meeting of PLVs organized on 03.01.2023 by the Secretary, DLSA Champawat.

On 01.03.2023, Secretary, DLSA Champawat convened monthly meeting with PLVs.



## DEHRADUN

On the occasion of **National Voters' Day**, DLSA Dehradun organized a Legal Awareness Camp on 25.01.2023 at DAV Inter College, Dehradun.

DLSA Dehradun attended the camp on the occasion of Republic Day on 26.01.2023.





Secretary, DLSA Dehradun organized a legal awareness camp on 15.02.2023 at Govt. Higher Secondary School, Rajawala, Dehradun.

PLVs of DLSA Dehradun observed **World Day on Social Justice** on 20.02.2023.



A Legal Awareness Camp was organized by the DLSA Dehradun on 10.03.2023 at Rajiv Gandhi Navodaya School, Nanoorkhera.

Secretary, DLSA Dehradun and Mediators aware the Trainee Officers (I.A.S.) about Mediation Mechanism on 13.03.2023.



Secretary, DLSA Dehradun aware the people about **Gender justice, rights of transgender people, gender equality, full and equal representation and participation in all levels** in a legal awareness camp on 25.03.2023.

Trainee Officers (I.A.S.) was made aware about free legal services of Legal Services Institutions by the Secretary, DLSA Dehradun on 20.03.2023 at District Court Conference Hall, Dehradun.





## PITHORAGARH

A Sensitization Camp was organized by the DLSA Pithoragarh on 22.03.2023, chaired by The Chairperson, DLSA Pithoragarh and aware the Juridical Officers of the district about "The Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020".



Secretary, DLSA Pithoragarh organized a legal awareness camp on 07.02.2023 to aware the common mass about Legal Rights of Women and Govt. Welfare Schemes for poverty alleviation.



In a legal awareness camp organized on 08.02.2023 the Pane Lawyers awareness the common mass about Public Welfare Schemes and different employment opportunities.



"World Day on Social Justice" was observed by the PLVs of DLSA Pithoragarh on 20.02.2023.



DLSA Pithoragarh organized **Child Rights Champion Contest** from 24.02.2023 to 28.02.2023 in the schools and colleges of the district Pithoragarh. Under this programme DLSA Pithoragarh conducted contest/survey amongst the students through website <https://champions.ncpcrweb.in> and winners were provided online certificates. In this regard PLVs were also directed to organize legal aware camp in their areas.







**RUDRAPRAYAG**

Legal Awareness Camp was organized by the DLSA Rudraprayag in cooperation with other Departments and NGO on Poverty Alleviation on 06.02.2023.

Legal Awareness Camp was organized on 18.03.2023 NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015.









PLVs enrolled with DLSA U.S. Nagar conducted legal awareness camp on the Implementation of Nalsa (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme,2015 on 08.01.2023 at Tehsil Bazpur and Tehsil Gadarpur.



To aware the People at large about role of NALSA, SLSA, DLSAs and being made available by such authorities, legal awareness camps were organized on 21.01.2023 at Tehsil Rudrapur, Bazpur etc.



DLSA U.S. Nagar conducted a meeting with PLVs on 03.02.2023 at ADR Center, Rudrapur.

Meeting with Panel Lawyers on 04.02.2023 at ADR Center, Rudrapur, by the DLSA U.S. Nagar.





**"World Day on Social Justice"** was observed by the DLSA U.S. Nagar on 20.02.2023.



04 days Legal Services Stall was set-up by the PLVs of DLSA U.S. Nagar at Kishan Mela, Pantnagar.


Visit of Central Jail Sitarganj was conducted by the Secretary, DLSA U.S. Nagar on 28.02.2023.



## UTTARKASHI

DLSA, Uttarkashi organized a legal awareness camp on 18.03.2023 at village Nautala, Bhatwari and attended people were informed free legal aid and Front Office.

Secretary DLSA, Uttarkashi organized meeting with PLVs on 02.01.2023.





Free Legal Services made available by the NALSA, SLSAs, DLSAs and TLSCs was informed to the common mass in legal awareness camp on 16.01.2023 by the DLSA Uttarkashi.

Awareness Programme for Judicial Officers on "The Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020" in Hon'ble District Judge Chamber on 15.03.2023.



DLSA Uttarkashi conducted a legal awareness camp to aware the common mass about provisions of surety bonds, warrants, bails, trial of offences on 06.02.2023.

"**World Day on Social Justice**" was observed by the DLSA Uttarkashi on 20.02.2023 at village-Kishanpur, Bhatwari.



DLSA Uttarkashi organized a legal awareness camp on 24.01.2023 at Joshiyara, Uttarkashi on the occasion of **International Girls Child Day**.

Special Legal Awareness Camp for Gender Justice, Rights of Transgender People, Gender equality, Full and Equal representation and participation in all levels was organized on 31.03.2023.





## साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें: जस्टिस मिश्रा



न्यायिक अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट के जज संजय कुमार मिश्रा। संवाद

### संवाद न्यूज एजेंसी

**चंपावत।** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने साइबर अपराधों की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने के पैरा लीगल कॉलेंटियर (पीएलवी) को निर्देश दिए हैं। यहां जिला जजी परिसर में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से पांव पसार रहे साइबर अपराध पर लगाम के लिए आम लोगों को जागरूक करना और बचाव के तरीके बताया जाना जरूरी है। जस्टिस मिश्रा ने नशे की बढ़ती

### उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने पीएलवी की बैठक ली

प्रवृत्ति को रोकने के साथ लोगों को कानूनी जानकारी देने की दिशा में काम करने के पीएलवी को निर्देश दिए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कुमार खुल्वे ने भी सुझाव रखे।

प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह राणा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोरा ने जानकारी दी। जिला जज कहकशा खान ने न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।

## ‘कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं रहेगा’

### शिविर

**बामेश्वर।** नुमाइशखेत मैदान पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता बहुदेशीय शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीनियर सिविल जज जयेंद्र सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जानकारी दी।

सिविल जज ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिलाओं आदि को निःशुल्क विधिक सहायता, साक्षरता

प्रदान कर रहा है। उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों से भिन्न करने के साथ ही कानून के प्रति जागरूक करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण वार्दों को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि वार्दों का त्वरित निस्तारण करता है। उन्होंने नालसा एवं सालसा की योजनाएं की जानकारी दी। महिलाओं, बच्चों, बीपीएल, अनुजाति, अनुजनजाति के साथ ही अपराध से पीड़ित को सहायता, निःशुल्क विधिक सेवा, आदि प्रदान की जाती है। यहां पुलिस उपाधीक्षक एसएस राणा, शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक, अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, चंद्र शेखर मिश्रा आदि थे।

## रुद्रप्रयाग में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

**सरल एक्सप्रेस रुद्रप्रयाग।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनामिका सिंह के द्वारा की गयी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग द्वारा जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राओं को आजीविका, स्वरोजगार एवं लघु उद्योग के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी जानकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में द. क्रिएटिव स्पेस एन०जी०ओ० रुद्रप्रयाग की प्रबन्धिका आशा, रिटर्नर अधिवक्ता यशोदा खत्री, पी०एल०वी०गण, एन०जी०ओ० की छात्राएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# राष्ट्रीय लोक अदालत में 225 मामलों का किया गया निस्तारण

## एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाएं

### आज समाचार सेवा

**अल्मोड़ा।** विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह व औषधि निरीक्षक मीनाक्षी विष्ट के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक के लिए की जा रही कार्रवाई पर जानकारी ली गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में व जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया।

सचिव ने दोनों अधिकारियों को इस मामले में लगातार अभियान जारी रखने को कहा। कहा कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान दुकानों में जाकर एक्सपायरी सामान या दवा बेचने के मामलों का संज्ञान लें। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को भी कहा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में इसको लेकर अधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 दुकानदारों के खिलाफ एक्सपायरी सामान मिलने पर नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई। औषधी निरीक्षक ने बताया 7 दवा की दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां सभी सामान्य मिला है। सचिव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को त्यौहार को देखते हुए चैकिंग अभियान जारी रखने को कहा। कहा कि इसमें पीएलवी की सहायता भी ली जा सकती है।

### आज समाचार सेवा

**अल्मोड़ा।** जिले में शनिवार को आयोजित हुई लोक अदालत में बड़ी तादात में मामलों का सुलह समझौते जिले में छः अदालतों ने की सुनवाई सुलह समझौते के आधार पर हुए फैसले

विस्तृत जानकारी दी। बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की बेंच में उनके व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा एवं उपभोक्ता प्रतिरोध फोरम अल्मोड़ा के कुल 48 मामले सुनवाई के लिए तय थे। बेंच ने एनआईएक्ट मोटर दुर्घटना दावा तथा अन्य सिविल वाद से जुड़े 04 मामलों एवं उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के 39 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया। जिसमें समझौता धनराशि 18 लाख 53 हजार रुपये व रुपया 21 लाख 50 हजार 834 रुपये रहे। इस प्रकार बेंच में कुल 43 मामलों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया जिनमें समझौता धनराशि 40 लाख 03 हजार

834 रुपये रहे। परिवार न्यायाधीश अल्मोड़ा की बेंच में 17 मामले रखे गये। इसमें 12 वैवाहिक मामलों का सुलह समझौता निस्तारण कर सुलह समझौते के आधार पर 105 रुपये रही। बैंक प्रो. लिटिगेशन 104 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया जिसमें समझौता धनराशि रुपया 1 करोड़ 3 लाख 05 हजार 072 रुपये रही। न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की गठित बेंच के समक्ष न्यायालय के कुल 43 वाद निस्तारण के लिए रखे गये। इस बेंच ने कुल 41 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया जिसमें समझौता धनराशि रुपया 36 लाख 24 हजार 603 रुपये रही। सिविल जज राजीव खेत की गठित बेंच

के समक्ष उनके न्यायालय से संबंधित 10 मामले निस्तारण आए। इसमें न्यायालय के 05 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया जिसमें समझौता धनराशि रुपया 9 लाख 99 हजार रुपये रही। सिविल जज द्वाराहाट की गठित बेंच के समक्ष उनकी अदालत से संबंधित 15 मामलों में से 08 यादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। समझौता धनराशि 12 लाख रुपये रही। सचिव मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 121 लॉबित वार्दों एवं बैंक के 104 प्रो. लिटिगेशन मामलों का निस्तारण हुआ। लॉबित वार्दों में 1 करोड़ 20 लाख 48 हजार 542 रुपये तथा प्रो. लिटिगेशन संबंधित मामलों में सुलह समझौते की धनराशि एक करोड़ 3 लाख पांच हजार 072 रुपये रही।





# डीएलएसए सचिव मिश्रा ने ग्रामीणों को विधिक जानकारी दी

**आज समाचार सेवा अल्मोड़ा।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हवालबाग ब्लॉक के ग्राम धामस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव रवि शंकर मिश्रा ने आम जनता को विविध जानकारी दी। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील भी की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन व जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव ने महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसके लिए निकट के डाकघर से आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने मुख्य तौर पर 'जैविक अजैविक कू?' के सही तरीके से निस्तारण को लेकर जानकारी दी। प्रतिबंधित हो चुके प्लास्टिक का

उपयोग नहीं किए जाने के लिए भी लोगों को आगाह किया। शिविर में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर भी जानकारी दी गई। ऐसा कोई



मामला होने पर तत्काल साइबर सेल के 1930 नंबर का फोन करने को कहा। यह भी बताया कि प्राधिकरण के तहत लगने वाली लोक अदालतों

से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। इस मौके पर लोगों को कानूनी ज्ञान माला पुस्तक भी प्रदान की गई। शिविर में पीएलवी शोभा

लोहनी आदि मौजूद रहे।

# कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं रहेगा



## वेलकम इंडिया

**बागेश्वर।** नुमाइशखेत मैदान पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता बहुदेशीय शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीनियर सिविल जज जयेंद्र सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जानकारी दी। सिविल जज ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिलाओं आदि को निःशुल्क विधिक सहायता,

साक्षरता प्रदान कर रहा है। उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों से भिन्न करने के साथ ही कानून के प्रति जागरूक करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण वादों को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि वादों का त्वरित निस्तारण करता है। उन्होंने नालसा एवं सालसा की योजनाएं की जानकारी दी। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने लोगों से लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक एसएस राणा, शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक, अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, चंद्र शेखर मिश्रा आदि उपस्थित थे।

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फलसीमा भीमराव अंबेडकर छात्रावास में लगाया जागरूकता शिविर



खबर का असर संवाददाता अल्मोड़ा। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फलसीमा भीमराव अंबेडकर छात्रावास में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि शंकर मिश्रा द्वारा उपस्थित छात्राओं को, संविधान के मूल अधिकार मूल कर्तव्य व विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया। उनको साईबर अपराध के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया गया और यह भी कहा गया कि सावधानी से ही अपराध से बचा जा सकता है। उनको साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 के बारे में बताया गया। कौन लोग निरशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं के बारे में बताया गया। उनको यह भी बताया गया कि निरशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन डाक घर के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्राधिकरण के ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा जैविक अजैविक कूड़े के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग न किया जाये प्लास्टिक को खुले में ना जलाया, आस पास के लोगों को साफाई के लिये जागरूक करे। छात्राओं को जमानत, बन्ध पत्र, वारंट व कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में चर्चा की गयी। इस अवसर पर संस्था के अधीक्षक श्रीचंद्र रावत व पैरा लीगल वालंटियर भावना तिवारी भी उपस्थित रहे।

## विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

स्वतंत्र चेतना ऋषिकेश। वीरभद्र मंदिर परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगर निगम ऋषिकेश के नेतृत्व में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लाल बहादुर शास्त्री प्रशानिक अकादमी से प्रशानिक सेवा के अधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायमूर्ति हर्ष यादव उपस्थित रहे। वीरभद्र मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी ने फूल मालाओं के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस शिविर में दूर-दराज से नागरिकों ने प्रतिभाग कर अपनी जिज्ञासा उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखी अधिकारियों ने उनकी जिज्ञासा का समाधान किया नागरिकों ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, सफाई आपूर्ति व्यवस्था गंगा सफाई अभियान सफाई अभियान में न्यायिक भूमिका जैसे प्रश्नों को उठाया गया जिनका उपस्थित अधिकारियों ने समाधान किया व्। अधिकारियों ने विभिन्न अधिनियमों का बारीकी से विश्लेषण किया। भावी न्यायिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया तथा देश के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रकाश डाला। मौके पर पार्श्व लव कांबोज शिविर में प्रशासन के अधिकारी नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पैरा लीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे शिविर का संचालन का दायित्व आर. एस. नामदेव ने किया।

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

डोंडवाला, लोकसत्य।

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंडवाला के इंटरनल सेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में विधिक जागरूकता के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 10 आईएसएस प्रशिक्षु ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वगत गौत तथा सरस्वती वंदना के साथ हुआ।

प्राचार्य डॉ डोंडवाले नैनबल द्वारा विधिक क्षेत्र की जानकारी छात्र-छात्राओं को दी गई। तथा सभी प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु से अपेक्षा की गई, कि वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इंटरनल सेल को



संयोजक डॉ संतोष वर्मा द्वारा इंटरनल सेल का संचालन ने विषय में बताया गया। कार्यक्रम में प्रस्तोता सत्र भी आयोजित हुआ। जिसमें छात्रसंघ अध्यक्ष राजकिरण, डॉ गिरीश सेठी, रोहित सिंह, दिवांगु ज्योशी, विवेक लोधी, डॉ संतोष वर्मा आदि लोगों ने परीक्षा, आईएसएस तैयारी, करियर, विधिक संबंधित प्रश्न किए। जिनका आईएसएस प्रशिक्षु ने समाधान किया और आपने विचार रखे (मुख्य अतिथि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

हर्ष यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सभी का मार्गदर्शन किया गया। साथ ही निःशुल्क अधिवक्ता कैसे प्राप्त करें, साइबर अपराध, नशा, नाबालिकों को वाहन, महिलाओं के अधिकारों के बारे में सभी को जागरूक किया (कार्यक्रम में आईएसएस प्रशिक्षु यशवंत कुमार रेणु, शिंदे ओमकार राजेंद्र, सोनानी देवि, मोहित कासिन्या, कुमार सौरभ, कल्पश्री केआर, सिरसे रवीणल, तनुशी मीणा, प्रीतम कुमार, नेहा बड़वाल मौजूद थे। इस दौरान डॉ प्रितपाल सिंह, डॉ कुवेर सिंह, डॉ अफरेज इकबाल, डॉ डॉ एन तिवारी, डॉ एनके नैथानी, सुभाष तिवारी, नेहा पवार, डॉ राखी पंचोला, डॉ क्लरिी कुकरेती, डॉ अंजली वर्मा आदि उपस्थित रहे।

## साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करें

चंपावत। पेनल अधिवक्ताओं और पीएलवी प्रतिनिधियों की मासिक बैठक में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्राड, सोशल मीडिया स्कैम आदि विषय में चर्चा रा रहे विशेष अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जिला न्यायालय सभागार में हुई बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह राणा ने कहा कि ऑनलाइन साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए पीएलवी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों की जानकारी दी गई जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाना है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए पेनल अधिवक्ता, पीएलवी एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद

## एक्सपायरी दवाओं पर रोक लगाने को लेकर की वर्चुअल बैठक

अल्मोड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर के साथ जिल्सी मीट एप द्वारा बाजारों में विक्र रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में आनलाइन बैठक की गई। आयोजित आनलाइन बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि सुदूर क्षेत्रों के लोगों के जागरूक व सतर्क न होने के कारण उन स्थानों में एक्सपायरी वस्तुओं व दवा को विक्री को सम्भावना बनी रहती है ऐसे में उन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जाये तभी इसे रोका जा सकता है, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनसे कहा गया कि वे लोग दुकानों में जाकर यह देखे की कोई दुकानदार एक्सपायर समान या दवा को बेच तो नहीं रहा। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाये तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्हें यह भी बताया गया कि वे पी.एल.वी की इस कार्य में सहायता ले सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एक्सपायरी सामान के सिलसिले में दो मामले विचाराधीन है।

## संक्षिप्त समाचार

### एसपायरी डेट की दवाई बाजार में न विक्रे: रवि शंकर मिश्रा

अल्मोड़ा (बीअ)। राज्य विधिक सेवा आयोग व माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वय विहव दवाई विरोधक मीनाकी विटके के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। तथा माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजारों में विक्र रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बंध में निर्देश दिये गये। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर से कहा सुदूर क्षेत्रों के लोगों के जागरूक व सतर्क न होने के कारण उन स्थानों में एक्सपायरी वस्तुओं व दवा की विक्री को सम्भावना बनी रहती है वैसे में उन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जाये तभी इसे रोका जा सकता है। दुकानों में जाकर यह देखे की कोई दुकानदार एक्सपायर समान या दवा को बेच तो नहीं रहा। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाये तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्हें यह भी बताया गया कि वे पी.एल.वी की इस कार्य में सहायता ले सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एक्सपायरी सामान के संदर्भ में अल्मोड़ा में 2 बाज लम्बित है।



## संविधान दिवस पर सेमिनार का आयोजन आज

शाह टाइम्स संवाददाता

**टनकपुर।** संविधान दिवस के अवसर पर आज शनिवार 26 नवंबर को टनकपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सिविल जज रजनीश मोहन ने बताया कि जिला विधिक सेवा



प्राधिकरण चंपावत के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के द्वारा घोषित प्लान ऑफ एक्शन के तहत संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि आयोजित शिविर का आयोजन राधे हरि राजकौय इंटर कॉलेज टनकपुर में प्रातः 9:30 से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने तहसील विधिक सेवा समिति, सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों से शिविर में उपस्थित रहने की बात कही है। सिविल जज ने आयोजित सेमिनार को सफल बनाने के उद्देश्य से समस्त पीएलबीयो को प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

## हवालबाग विकासखंड के ग्रामसभा धामस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया जागरूकता शिविर

खबर का असर: एस एस कपकोटी

**अल्मोड़ा।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यहां जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के माध्यम से लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को ग्रामसभा- धामस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि शंकर मिश्रा द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया। साथ ही निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निशुल्क विधिक सेवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र डाक घर के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्राधिकरण के ऑफिस आने की



आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैविक अर्जैविक कूड़े के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग न किया जाये। प्लास्टिक को खुले में न जलाया, आस पास के लोगों को सफाई के लिये जागरूक करें। साथ ही उन्होंने लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार के बारे में बताते हुए कहा कि अपने बैंक से संबंधित जानकारी को किसी के

साथ साझा न करें। और किसी भी प्रकार से साइबर धोखाधड़ी के लिए हैल्प लाईन नम्बर 1930 पर जानकारी दे जो 24 घंटे कार्य करती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताते हुए जानकारी दी कि लोग इसका किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं साथ ही विभिन्न विषयों पर तैयार सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक का भी वितरण किया गया।

## अब पोस्ट आफिस के माध्यम से ले सकते हैं विधिक सेवाओं का लाभ दर्या में आयोजित हुआ बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर

दर्या। दूर दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अब पोस्ट आफिसों के माध्यम से विधिक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। डाकघरों में विधिक सेवा संबंधी फार्म और निशुल्क लिफाफे भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि शंकर मिश्रा ने देते हुए लोगों से विधिक सेवाओं का लाभ लेने की अपील की।

अटल उत्कृष्ट जीआईसी दर्या के मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर में विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों लोगों को उन्होंने विधिक सेवा संबंधी जानकारी दी। उन्होंने निशुल्क कानूनी सहायता लेने वाले लोगों की पात्रता की भी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से किसी प्रकार की समस्या होने पर क्षेत्र में कार्यरत पीएलबी से सम्पर्क करने को कहा। शिविर में तहसीलदार मनोली बरखा जलाल ने तहसील संबंधी कार्यों और



सेवाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ लेने की अपील की। शिविर में प्रधानाचार्य खान उमैर असगर, प्रभारी सीडीपीओ गोविंदी आर्या, वन क्षेत्राधिकारी आनंद बल्लभ पाठक, एडीसीओ रोहित दुम्का, जेई सुरेश कांडपाल, एडीओ मित्तली, सहायक समाज कल्याण अधिकारी श्रीचंद्र रायत, ज.आरएस साहो सहित विभिन्न विभागों

के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की जानकारी दी। शिविर में पीएलबी अनिला पंत, बसंत कांडपाल, विजय टम्टा, गणेश पाण्डेय, नंदन सिंह आदि ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट लाइन पीएलबी कविता जोशी और विजय टम्टा ने किया। विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

## विधिक जानकारी हर व्यक्ति को होना जरूरी

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से धामस में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।

हवालबाग ब्लाक के धामस में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने लोगों को नियमों की जानकारी दी। ग्रामीणों को महिलाओं के अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानकों के अनुसार कुल लोग निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन डाकघर से भी किया जा सकता है। प्राधिकरण कार्यालय ही आने की जरूरत नहीं है। इस दौरान सचिव ने पालीथिन के दुष्प्रभाव बताते हुए इसका उपयोग न करने की अपील की। जैविक और अर्जैविक कूड़े के बारे में जानकारी देते हुए कूड़ा निस्तारण को भी जागरूक किया। वहीं साइबर अपराध, महिला अपराध आदि अपराधों के संबंध में भी जानकारी दी। सुलह समझौता के आधार पर मामलों के निस्तारण पर जोर दिया। इसके साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया। इस मौके पर शोभा लोहनी आदि मौजूद रहे।



## हवालबाग विकासखंड के ग्रामसभा धामस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाया गया जागरूकता शिविर

खबर का असर: एस एस कपकोटी

अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यहां जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के माध्यम से लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को ग्रामसभा- धामस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि शंकर मिश्रा द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निशुल्क विधिक सेवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र डाक घर के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्राधिकरण के ऑफिस आने की



आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैविक अजैविक कूड़े के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग न किया जाये प्लास्टिक को खुले में ना जलाया, आस पास के लोगों को सफाई के लिये जागरूक करे। साथ ही उन्होंने लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया हुए कहा कि अपने बैंक से संबंधित जानकारी को किसी के

साथ साझा ना करे। और किसी भी प्रकार से साइबर धोखाधड़ी के लिए हैल्प लाईन नम्बर 1930 पर जानकारी दे जो 24 घंटे कार्य करती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया हुए जानकारी दी कि लोग इसका किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं साथ ही विभिन्न विषयों पर तैयार सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक का भी वितरण किया गया।

## एक्सपायरी सामान व दवा बेचने वालों पर हो कार्रवाई

रस, अल्मोड़ा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक कर बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी डेट की दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा की गई।



सचिव अल्मोड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविशंकर मिश्रा द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को सुदूर क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता न होने के कारण वहां एक्सपायरी वस्तुओं व दवा की बिक्री की संभावना रहती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रविशंकर मिश्रा ने कहा कि चेकिंग के दौरान यदि कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं कहा कि इस संबंध में वह पीएलवी से भी सहायता ले सकते हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में एक्सपायरी सामान के संबंध में अल्मोड़ा में दो बार रेडमी नोटिस प्रो न्याय क्वॉड गैमरा इलेक्टर मीनाक्षी बिष्ट, न्याय क्वॉड अभय कुमार सिंह भीजूद रहे।

## समाजिक न्याय दिवस पर बिनतोला गांव में लगा शिविर

आज समाचार सेवा अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोमवार को बिनतोला गांव में समाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का

के तहत निरुशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र लोगों को लेकर भी जानकारी दी। कहा कि इसके लिए अपने निकट के डाकघर से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर नशे के दुष्प्रभावों को लेकर भी चर्चा की गई। सचिव ने बताया कि जिले के हवालबाग में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जरूरी होने पर इसका लाभ लिया जा सकता है। इस मौके पर जैविक अजैविक कूड़े के



आयोजन किया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन व जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया।

शिविर में प्राधिकरण सचिव रवि शंकर मिश्रा ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। कहा कि इसके तहत लिंग धर्म जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्राधिकरण

के तहत निरुशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र लोगों को लेकर भी जानकारी दी। कहा कि इसके लिए अपने निकट के डाकघर से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर नशे के दुष्प्रभावों को लेकर भी चर्चा की गई। सचिव ने बताया कि जिले के हवालबाग में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जरूरी होने पर इसका लाभ लिया जा सकता है। इस मौके पर जैविक अजैविक कूड़े के

निस्तारण तथा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आह्वान भी ग्रामीणों से किया गया। साइबर ठगी से बचने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। खाद्य सामग्री में एक्सपायरी डेट देखने की भी अपील की गई। इस मौके पर प्रधान शंकर सिंह पीएलवी नीमा बिनवाल व भावना आर्या भी उपस्थित

## तीन दुकानदारों को नोटिस

गोपेश्वर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चमोली ने गोपेश्वर नगर में विशेष अभियान चलाया। मॉडकल स्टोर और खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण करते हुए तीन मॉडकल स्टोरों से दवाओं के नमूने लिए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर तीन परचून के दुकानदारों को नोटिस जारी किए। कहा कि दुकानों में एक्सपायरी सामान न बेची जाए और खाद्य पदार्थों में मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डा. सुधीर कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खां और अनुसूचक मन्त्र सिद्ध शमित रहे। संवाद

## 28 जनवरी को लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादून। (जि.सू.का), सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला मुख्यालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश, विकासनगर, मसूरी एवं डोईवाला के समस्त मा न्यायालयों में मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय प्रकृति के मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु 28 जनवरी 2023 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो पक्षकार अपने मोटर वाहन अधिनियम से सम्बंधित मामलों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह संबंधित न्यायालय, जहाँ उसका मुकदमा लंबित है, से अनुरोध कर अपने बाद को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं इसके अतिरिक्त माह जनवरी, 2023 हेतु उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल से प्राप्त प्लॉन आफ एक्शन दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद देहरादून के स्थान-साई नारायण सेवा धाम, बिल्डौली, प्रेमनगर, (निकट यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एनर्जी एण्ड स्टडीज,) देहरादून के परिसर में जनवरी 2023 (शनिवार) को समय 11:00 बजे से बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिविर बहुउद्देशीय प्रकृति का है, जिसमें जनपद देहरादून के विभिन्न विभागों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून की टीम द्वारा चिकित्सीय परीक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवाईयों का वितरण आदि के भी स्टॉल लगाये जाने हैं। उक्त शिविर में विभिन्न विधिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी जानी है तथा उनसे सम्बंधित प्रमाण-पत्र आदि बनाये जाने हैं।



# सामान बेचने का लाइसेंस न मिलने पर 12 को नोटिस

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने किया 14 से अधिक दुकानों का निरीक्षण

संवाद न्यूज एजेंसी

गोपेश्वर। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं ने बगौली, नारायणबगड़, मौंग गंदेरा, कुलमारी और धराली बाजार में मिठाई, होटल, रेस्टोरेंट और किराना की 14 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 12 दुकानों में खाद्य सामग्री विक्रय का लाइसेंस न मिलने पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया और एक सप्ताह में लाइसेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

नारायणबगड़ में एक मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने दुकानदारों को त्योहारों को देखते हुए गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री विक्रय करने, प्रतिष्ठानों में सफाई रखने, दुकानों में कार्यरत कर्मियों का चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाने, कोविड-19 के तहत मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं ने बताया गया कि बिना



खाद्य पदार्थों की जांच करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं। संवाद

## टीम ने चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी से छह सैंपल भरे

उत्तरकाशी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर रविवार को जिला मुख्यालय और चिन्यालीसौड़ में खाद्य सामग्री व मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिन्यालीसौड़ से दूध, खोया, सरसों व रिफाईंड तेल और उत्तरकाशी शहर से छेना मिठाई व खोया पेड़ा समेत कुल 6 सैंपल एकत्रित किए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में खाद्य सामग्री में मिलावट की सबसे बड़ा आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की खामी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार भी मौजूद रहे। संवाद

लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर 6 माह की सजा व 2 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता

है। इस मौके पर धराली के तहसीलदार रविशह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

# खाद्य सुरक्षा विभाग ने की दुकानों में छापेमारी

■ गोपेश्वर/एसएनबी।

चारधाम यात्रा तथा त्योहारों का सीजन देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके तहत खाद्य कारोबारियों को 14 दिन के भीतर लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं ने बताया कि विरही व जोशीमठ में बाहरी जनपदों से सप्लाई खाद्य सामग्री वाहनों से लग कट सेवई व बच्चों के चाकलेट वेफर की जांच को दो खाद्य नमूने भेजे गए। जोशीमठ में होटल, किराना एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 13 खाद्य कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में लाइसेंस

प्रस्तुत करने को कहा गया। मिठाई व होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को कोविड-19 प्रोटोकाल अनुपालन के तहत सभी कर्मिकों का मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ में भी 5 कारोबारियों के फूड लाइसेंस प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया।

होटल व रेस्टोरेंट कारोबारियों को कोविड टेस्ट कराने के कहा। खाद्य व्यापारियों से फूड लाइसेंस बनवाने की अपील की गई। बताया कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर 6 माह की सजा व 2 लाख तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

इस दौरान दुकानों को साफ रखने व गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय करने तथा फूड सुरक्षा एक्ट-2006 के तहत नियमों का पालन करने को कहा गया।

## खाद्य पदार्थों के तीन नमूने जांच में फेल

संवाद न्यूज एजेंसी

चार खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब भेजे

गोपेश्वर। चमौली जनपद में खाद्य पदार्थों के तीन नमूने जांच में फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अपर जिलाधिकारी न्यायालय में संबंधित के खिलाफ खाद दायर कर लिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं ने बताया कि गत वर्ष चलाए गए विशेष अभियान में 19 नमूने विश्लेषण के लिए गए थे। इस वर्ष जुलाई में इनकी रिपोर्ट मिली है। जांच में सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर व रिफाईंड तेल के चार नमूने फेल हो गए। ये सभी नमूने गैरघर और सिमली बाजार स्थित दुकानों से लिए गए थे। इन कारोबारियों को 46 (4) के तहत दोबारा विश्लेषण का मौका दिया गया, जिसमें तीन कारोबारियों ने दोबारा जांच कराने से इनकार किया। तीनों कारोबारियों के मामले अपर जिलाधिकारी न्यायालय में

नई टिहरी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चारधाम यात्रा मार्ग के तपोवन, ब्यसी और विवापुरी में होटल, डबबों व दुकानों के निरीक्षण के लिए चेंकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पांच दुकानदारों के पास खाद्य पदार्थ

बेचने का लाइसेंस न मिलने पर नोटिस जारी किया गया। चार अलग-अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरकर प्रयोगशाला भेजे गए।

जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरदा शर्मा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने तपोवन, ब्यसी व

लाइसेंस न होने पर पांच दुकानदारों को नोटिस जारी

शिवपुरी की 35 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में बाहरी प्रदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन किया जाए।

होटल और दुकानों के बाहर रेट सूची का बोर्ड चसपा किया जाए। इस दौरान पांच दुकानदारों के पास खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस न होने पर उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह में सजावट दाखिल करने को कहा गया। संवाद

पेश किए गए हैं, जबकि एक कारोबारी द्वारा दोबारा जांच की मांग की गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमितभोज जोशी ने

बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मारा छापा



उत्तर भारत लाइव व्यू

uttarbarhatlive.com

गोपेश्वर। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कालातीत खाद्य एवं दवाओं की बिक्री रोकने हेतु जारी दिशा निर्देशों के क्रम में 19 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवल जज (सीडि)/सचिव सुधीर कुमार सिंह के निदेशान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चमौली द्वारा गोपेश्वर नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों की जांच की गई और तीन मेडिकल

खाद्य पदार्थों और मेडिकल स्टोरों में मिली खामियां

स्टोर से दवाइयों के नमूने भी लिए गए। वहीं आधा दर्जन खाद्य कारोबारी दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कमियां मिलने पर तीन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। इस विशेष अभियान में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डा. सुधीर कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खॉं, अनुसूचक गजेन्द्र सिंह जांच टीम में शामिल थे।

## खाद्य विभाग ने पांच दुकानदारों को भोजा नोटिस



गोपेश्वर(सच कहूँ न्यूज)। चारधाम यात्रा व आगामी त्योहारी सीजन के देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वालों पर नियमित कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

असलम खॉं ने बताया कि विरही व जोशीमठ में बाहरी जनपदों से सप्लाई खाद्य सामग्री वाहनों से लांग कट सेवई व बच्चों के चाकलेट वेफर की जांच हेतु दो खाद्य नमूने भेजे गए। जबकि जोशीमठ में होटल, किराना एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 13 खाद्य

कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। मिठाई व होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को कोविड-19 प्रोटोकाल अनुपालन के तहत सभी कर्मिकों का मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ में भी 5 कारोबारियों के फूड लाइसेंस प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया।

होटल व रेस्टोरेंट कारोबारियों को कोविड टेस्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य व्यापारियों से फूड लाइसेंस बनवाने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर 6 माह की सजा व 2 लाख तक का आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

राज्य के पर



## SUCCESS STORIES

### 01

#### **सफलता की कहानी**

दिनेश कुमार पुत्र श्री माधवा नन्द निवासी— न्यू क्लोनी ग्राम सरसों पो0 अल्मोड़ा के स्थाई निवासी है, जो कि दिव्यांग युवक है। वे अपनी पेंशन लगवाने में असमर्थ थे। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लीगल एड क्लीनिक ग्राम सरसों में आये व उन्होंने वहा पर स्थित पी0एल0वी0 को अपनी समस्या बताई। जिसके पश्चात उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना व लिखा गया। जिसके बाद पी0एल0वी0 द्वारा दिनेश कुमार को समाज कल्याण द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। लेकिन उनके पास यू0डी0 आई0डी0 कार्ड नहीं होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पी0एल0वी0 द्वारा समाज कल्याण के कार्यालय में जाकर उनकी यू0डी0आई0डी0 कार्ड नंबर दिलवाया गया। जिसके बाद समाज कल्याण द्वारा चलाई गई दिव्यांग पेंशन का आवेदन करवाया गया। जिसमें पी0एल0वी0 द्वारा सारे कागज भरवाकर व विकास खण्ड हवालबाग जाकर आवेदन पत्र जमा किया गया। तदपश्चात दिनेश कुमार जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त हो चुका है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, पिथौरागढ़ ।  
**DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY PITHORAGARH**  
 ( Constituted under the Legal Services Authority Act,1987)



**सफलता की कहानी**

भारत सरकार द्वारा साईबर अपराध की रोकथाम एवं जानकारी हेतु ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Competition) का आयोजन दिनांक 16, जनवरी 2023 से 15, फरवरी 2023 तक किया गया था जिसमें जनपद में स्थापित समस्त विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक (Senior Secondary) वर्ग के छात्र- छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता के पश्चात् प्रतिभागियों छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुये। उक्त ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Competition) में जनपद पिथौरागढ़ के विवेकानन्द इंटर कॉलेज, मिशन इंटर कॉलेज, देव सिंह इंटर कॉलेज, दयासागर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बॉसबगड़, राजकीय इंटर कॉलेज डोर, राजकीय इंटर कॉलेज बिर्धी आदि विद्यालयों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Competition) में प्रतिभाग किया तथा प्रतिभागिता का डिजिटल प्रमाण-पत्र कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु समाज के विभिन्न हितधारको में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक पहल की गई थी।

(विभा/यादव)

सीनियर सिविल जज/सचिव  
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, पिथौरागढ़।  
**DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY PITHORAGARH**  
 (Constituted under the Legal Services Authority Act, 1987)



**सफलता की कहानी**

**बाल अधिकार अभियान की सफलता।**

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा निर्देशित बाल अधिकार अभियान जनपद पिथौरागढ़ में चलाया गया, जिसमें जनपद के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के द्वारा <https://champions.ncpcrweb.in/> वेबसाइट पर लॉगिन कर प्रश्नोत्तरी हल की गयी और ऑनलाईन डिजिटल प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

इस अभियान को जनपद में घर-घर तक पहुंचाने में समस्त पी0एल0वी0 द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर शिविरों का आयोजन किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ द्वारा व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों कमरा: नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़, राजकीय इण्टर कालेज चमाली, जिला पंचायत सभाकक्ष, पिथौरागढ़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बिण में शिविर का आयोजन कर युवाओं व छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, ऑनलाईन ठगी, गुड टच बैड टच, स्वच्छता की महत्ता, पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। समस्त शिविरों की कुछ तस्वीरें इस सफलता की कहानी के साथ माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को अवलोकनार्थ सांझा की जा रही है।

45 दिवसीय इस अभियान को समस्त पी0एल0वी0 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के सामूहिक प्रयासों से सफल बनाया गया।

(विभा सादव),  
 सीनियर सिविल जज / सचिव,  
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
 पिथौरागढ़।





**सफल कहानी-1**

दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थिनी श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी शिवलाल, निवासी कौशलपुर, तहसील बसुकेदार, जिला रुद्रप्रयाग, हॉल निवास तहसील रुद्रप्रयाग, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग में उपस्थित हुई। मनोरमा देवी द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसके पति श्री शिवलाल राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तथा प्रार्थिनी की 03 पुत्रियां तथा 02 पुत्र हैं। जिनमें से 01 पुत्र एवं 01 पुत्री का विवाह हो चुका है। प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया कि उसके पति शिवलाल द्वारा 07 माह से प्रार्थिनी एवं उसके बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है और ना ही खाना खर्चा दिया जा रहा है। जिससे प्रार्थिनी का जीवन अत्यधिक कष्टदायक हो गया है। जिस पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा कार्यालय में संस्थित फोन के माध्यम से शिवलाल से सम्पर्क किया गया तथा दिनांक 19.01.2023 को दोनों पक्षों को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया। दिनांक 19.01.2023 को श्रीमती मनोरमा देवी, शिवलाल एवं उनका एक पुत्र विपिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग में उपस्थित हुए। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा दोनों पक्षों को पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से सुना गया। जिस पर श्री शिव लाल द्वारा उक्त प्रकरण पर अवगत कराया गया कि वह वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पद पर राजकीय सेवक है तथा श्रीमती मनोरमा देवी व उसके बच्चों द्वारा शिवलाल के साथ गाली-गलौच व मारपीट की जाती थी, जिस कारण वह अपने परिवार से दूर है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया तथा विस्तार से कानूनी जानकारी प्रदान दी गयी। काफी समझाने के पश्चात् दोनों के मध्य सुलह समझौता कराया गया। जिस पर मनोरमा देवी द्वारा कथन किया गया कि वह शिव लाल के साथ गाली गलौच नहीं करेगी तथा शिवलाल द्वारा भी इस आशय का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह प्रार्थिनी मनोरमा देवी व उसके अविवाहित बच्चों का लालन पालन करेगा। जिस पर मनोरमा देवी द्वारा भी सहमति प्रकट की तथा दोनों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग का आभार व्यक्त किया गया।

(अनामिका सिंह)  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
रुद्रप्रयाग



**STATUS OF FULL TIME SECRETARIES/TLSC/PLVS/PANEL LAWYERS/RETAINER LAWYERS/MEDIATORS/LEGAL AID CLINICS/FRONT OFFICE/MEDIATION CENTERS**

**As on 31.03.2023**

<b>NAME OF DLSA</b>	<b>No. of Full Time Secretary</b>	<b>No. of TLSCs Con-stituted</b>	<b>No. of Panel Lawyers</b>	<b>No. of Retainer Lawyers</b>	<b>No. of trained PLVs</b>	<b>No. of Legal Aid Clinics</b>	<b>No. of Front Offices</b>	<b>No. Medi-ation Centers</b>	<b>No. of Mediators</b>
ALMORA	01	03	13	01	80	34	01	01	04
BAGESHWAR	01	01	07	01	28	20	01	01	02
CHAMOLI	01	05	08	01	36	12	01	01	02
CHAMPAWAT	01	01	11	01	60	17	01	01	03
DEHRADUN	01	04	45	01	58	55	01	02	15
HARIDWAR	01	02	34	01	52	34	01	03	22
NAINITAL	01	02	40	01	76	08	01	03	04
PAURI GARHWAL	01	04	26	01	43	26	01	02	05
PITHORAGARH	01	04	10	01	29	03	01	01	04
RUDRAPRAYAG	01	01	06	01	89	44	01	01	01
TEHRI GARHWAL	01	02	26	01	43	27	01	01	03
U. S. NAGAR	01	05	50	01	84	24	01	03	11
UTTARKASHI	01	02	17	01	60	19	01	01	05
HCLSC	01	-	24	01	-	-	01	01	09
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>317</b>	<b>14</b>	<b>738</b>	<b>323</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>90</b>



**CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM**

**(JANUARY-2023 TO MARCH-2023)**

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation/Settlement Amount	Realized as Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps/Sensitization Programmes Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	03	201	136	98,97,708	2,03,800	54	144	8454	35	196
2	BAGESHWAR	04	257	101	26,15,800	-	26	181	6484	07	60
3	CHAMOLI	04	121	74	78,54,547	69,600	18	271	12989	08	63
4	CHAMPAWAT	04	296	99	32,20,000	84,658	44	391	11756	32	-
5	DEHRADUN	04	12282	4986	11,98,67,659	1,39,700	3246	153	9248	247	246
6	HARIDWAR	04	2327	2074	7,79,85,313	-	153	105	9021	223	-
7	NAINITAL	04	2863	1934	4,90,30,670	8,80,900	1071	78	4894	102	20
8	PAURI GARHWAL	04	537	510	91,96,306	6,37,200	68	129	5676	30	372
9	PITHORAGARH	02	524	293	1,10,20,972	29,500	22	144	8181	13	-
10	RUDRAPARYAG	01	73	71	23,71,000	-	-	115	5973	06	10
11	TEHRI GARHWAL	04	486	327	1,19,38,019	-	69	150	7182	46	04
12	U. S. NAGAR	04	3160	1655	14,38,85,403	2,15,100	26	405	26150	180	29
13	UTTARKASHI	01	250	240	97,36,250	-	-	116	6091	13	-
14	HCLSC, NTL	01	314	38	3,87,77,353	-	-	-	-	55	-
15	UKLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<b>TOTAL: -</b>		<b>44</b>	<b>23691</b>	<b>12538</b>	<b>49,73,97,000</b>	<b>22,60,458</b>	<b>4797</b>	<b>2382</b>	<b>122099</b>	<b>997</b>	<b>1038</b>
16	CONSUMER COURTS	10	98	65	50,61,662						
17	DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN	01	80	70	66,00,00,000						
<b>TOTAL: -</b>		<b>11</b>	<b>178</b>	<b>135</b>	<b>66,50,61,662</b>						
<b>GRAND TOTAL: -</b>		<b>55</b>	<b>23869</b>	<b>12673</b>	<b>1,16,24,58,662</b>	<b>22,60,458</b>	<b>4797</b>	<b>2382</b>	<b>122099</b>	<b>997</b>	<b>1038</b>

**PROGRAMMES/ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING**

**(JANUARY-2023 TO MARCH-2023)**

S.N.	Name of District	Lok Adalats organized in Jails		Legal Literacy Camps organized in Jails		Legal Aid provided to under trial prisoners	Jail visit
		No. of organize Lok Adalats	No. of cases disposed off	Camps organized	Benefited persons	Number of Benefitted under trial prisoners	Total Number of Jail visit
1	ALMORA	01	01	10	1614	13	06
2	BAGESHWAR	-	-	02	180	02	02
3	CHAMOLI	01	-	01	144	03	06
4	CHAMPAWAT	-	-	03	98	21	04
5	DEHRADUN	03	69	-	-	147	16
6	HARIDWAR	03	109	06	3270	130	05
7	NAINITAL	-	-	04	340	77	03
8	PAURI GARHWAL	-	-	04	2232	14	11
9	PITHORAGARH	-	-	38	1662	02	-
10	RUDRAPRAYAG	-	-	05	169	-	-
11	TEHRI GARHWAL	-	-	07	803	35	-
12	U.S. NAGAR	03	33	05	585	142	08
13	UTTARKASHI	-	-	06	639	03	01
14	H.C.L.S.C. NTL	-	-	-	-	35	-
<b>TOTAL :-</b>		<b>11</b>	<b>212</b>	<b>91</b>	<b>11736</b>	<b>624</b>	<b>62</b>



**STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS**  
(Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

**(JANUARY-2023 TO MARCH-2023)**

- (i) No. of PLAs existing :- 07 (Almora, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)  
(ii) Total No. of PLAs functioning:- 04 (Dehradun, Haridwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalats	Number of Sitzings	No. of cases pending as on 31.12.2022	No. of cases received during the Period	No. of cases settled during the Period	Total Value/Amount of Settlement (₹)	No. of cases pending as on 31.03.2023
1	Dehradun	49	180	69	30	20,73,174	219
2	Haridwar	33	69	13	11	38,14,148	71
3	Nainital	37	154	19	07	34,39,187	166
4	Udham Singh Nagar	36	159	34	46	49,80,563	147
	<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>562</b>	<b>135</b>	<b>94</b>	<b>1,43,07,072</b>	<b>603</b>

**STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION**

**(JANUARY-2023 TO MARCH-2023)**

- (A) Total Number of ADR Centers : **04**  
(B) Total No of Existing Mediation Centers other than ADR Centers : **18**  
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centers and Mediation Centers) : **98**

**DISPOSAL**

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
<b>A</b>	No. of cases received during the month	127
<b>B</b>	Cases settled through Mediation	21
<b>C</b>	Cases returned as not settled	96
<b>D</b>	Non-starter cases which were returned as mediation could not commenced	15
<b>E</b>	No. of Connected cases	-
<b>F</b>	No. of Cases pending at the end of the month	108

**STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357A Cr.P.C.**

**(JANUARY-2023 TO MARCH-2023)**

No. of applications received directly by Legal Services Institutions (A)	No. of applications/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received including Court orders (A+B)	No. of applications decided	No. of applications pending	Total Compensation Amount (₹)
100	32	132	164	533	85,00,000





## CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Kaushal Kishore Shukla, Chairman Ms. Shachi Sharma, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9459596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri R. K. Khulbey, Chairman Shri Jayendra Singh, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Dhananjay Chaturvedi, Chairman Ms. Simranjit Kaur, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Ms. Kahkasha Khan, Chairman Ms. Shivani Pasbola, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Shri Harsh Yadav, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9458346961
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri S. K. Tyagi, Chairman Shri Abhay Singh, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Ms. Sujata Singh, Chairman Ms. Beenu Gulyani, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri Ashish Naithani, Chairman Shri Akram Ali, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Shri Shanker Raj, Chairman Ms. Vibha Yadav, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri Shrikant Pandey, Chairman Shri. Ravi Ranjan, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 9149109745
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Yogesh Kumar Gupta, Chairman Shri. Alok Ram Tripathi, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 9411558363
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Prem Singh Khimal, Chairman Shri. Sachin Kumar Pathak, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Gurubaksh Singh, Chairman Ms. Shweta Rana, Secretary	Office: 01374-222711 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : [slsa-uk@nic.in](mailto:slsa-uk@nic.in), [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com)

website : [www.slsa.uk.gov.in](http://www.slsa.uk.gov.in)

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100